

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक— मु0अ0 (अ0उ0)4515 -01-165/2025 -708 /पटना, दिनांक— 31.10.2025

प्रेषक,

उज्ज्वल कुमार सिंह, भा0प्र0से0
विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)

बिहार, पटना।

विषय:—

मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना के अवयव के रूप में ग्रामीण सड़क सुदृढीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम के तहत सामान्य मद में निम्नलिखित सारणी में अंकित पथों के आरेखन पर चिह्नित पुल निर्माण तथा संचालन एवं प्रबंधन (कुल 7 वर्ष अवधि तक) कार्य हेतु होने वाले व्यय की राशि के लिये योजनावार प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किये जाने के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना के अवयव के रूप में ग्रामीण सड़क सुदृढीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम के तहत सामान्य मद के अधीन तालिका में अंकित संबंधित कार्य प्रमंडल के योजनाओं के पुल निर्माण तथा संचालन एवं प्रबंधन (कुल सात वर्ष अवधि तक) कार्य हेतु समर्पित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन जिसकी अनुमोदित कुल राशि 5 करोड़ से 15 करोड़ तक की है, पर सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त है। सारणी में अंकित पुलों के लिये उनके सामने में अंकित लम्बाई एवं राशि के लिये योजनावार प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान की जाती है:—

Sl No.	District	Division	Block	Bridge Name	Length (in Mtr)	Construction Cost (In Lakhs)	Cost of 6-years Operation & Management (O&M) cost (in Lakhs)	Emergent & Price Adjustment @ 15% Cost (in lakhs)	Administrative Cost and Contingency Cost (@ 2.25% +1%) (in lakhs)	Total Estimated Cost (In Lakhs)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Araria	Araria	Jokihat	Cosntruction of R.C.C. H.L. Bridge in Mahalgaon Kelabari To Masuriya Path At Ch. 1.310 Kms.	38.760	463.215	3.114	69.949	13.239	549.517
2	Araria	Araria	Jokihat	Cosntruction of R.C.C. H.L. Bridge in Matiyari Mogra PMGSY Road Idgah To Majgama Ghat Thakur Tola at Ch.-1.700 Kms.	58.120	594.659	3.456	89.717	16.854	704.686
3	Araria	Araria	Jokihat	Cosntruction of R.C.C. H.L. Bridge in Remaining Part of Bhansia To Mahajali At Ch.-0.005 Kms.	58.120	564.094	3.956	85.208	16.013	669.271
4	Araria	Araria	Jokihat	Cosntruction of R.C.C. H.L. Bridge in Taran To Balua via Daulatpur Tak Path At Ch.-3.610 Kms.	51.370	543.23	3.268	81.975	15.438	643.911
5	Araria	Araria	Jokihat	Cosntruction of R.C.C. H.L. Bridge in LRP Taran To Balua via Daulatpur Tak Path at Ch.-7.600 Kms.	77.480	722.382	5.399	109.167	20.365	857.313
6	Araria	Araria	Jokihat	Cosntruction of R.C.C. H.L. Bridge in Matiyari Mogra PMGSY Road Idgah To Majgama Ghat Thakur Tola at Ch.-0.950 Kms.	116.160	1031.196	5.984	155.577	28.858	1221.615
7	Araria	Araria	Palasi	Cosntruction of R.C.C. H.L. Bridge in PMGSY Hospital To Bhdona Mandal Tola via Thaki Tatbandh Tola at Ch.-1.200 Kms.	51.370	579.403	3.467	87.431	16.433	686.734
8	Araria	Araria	Palasi	Cosntruction of R.C.C. H.L. Bridge in PMGSY Hospital To Bhdona Mandal Tola via Thaki Tatbandh Tola at Ch.-0.500 Kms.	34.260	479.737	2.988	72.409	13.692	568.826

Sl No.	District	Division	Block	Bridge Name	Length (in Mtr)	Construction Cost (in Lakhs)	Cost of 6-years Operation & Management (O&M) cost (in Lakhs)	Emergent & Price Adjustment @ 18% Cost (in Lakhs)	Administrative Cost and Contingency Cost (@ 3.18% +1%) (in Lakhs)	Total Estimated Cost (in Lakhs)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Araria	Araria	Palasi	Cosntruction of R.C.C. H.L. Bridge in I-048-T03 To Bhadaunn (VR48) at Ch.-1.800 Kms.	58.120	601.146	3.656	90.72	17.032	712.554
10	Araria	Araria	Palasi	Cosntruction of R.C.C. H.L. Bridge in Denga Chowk To Tarvi Tola at Ch.-2.970 Kms.	34.260	460.845	2.988	69.575	13.173	546.581
11	Araria	Araria	Palasi	Cosntruction of R.C.C. H.L. Bridge in PMGSY Budhi To Gosayipur At Ch.-0.200 Kms.	34.260	467.459	2.988	70.567	13.355	554.369
12	Araria	Araria	Palasi	Cosntruction of R.C.C. H.L. Bridge in PMGSY Budhi To Gosayipur At Ch.-1.100 Kms.	26.260	434.597	2.764	65.604	12.451	515.416
13	Araria	Araria	Kursakatta	Cosntruction of R.C.C. H.L. Bridge in Cosntruction of Road from Doria Pucen Road near Dr. Ballo House To Mahadalit Basti via Mushari Tola Dom Tola under SCP At Ch.-1.800 Kms.	34.260	451.59	3.55	68.271	12.919	536.330
14	Araria	Araria	Kursakatta	Cosntruction of R.C.C. H.L. Bridge in Araria Kursakanta P.W.D. Road Baturbari To Metan via Mukhiya Tola Road at Ch.-0.600 Kms.	34.260	483.268	3.252	72.978	13.79	573.288
15	Araria	Araria	Araria	Cosntruction of R.C.C. H.L. Bridge in Rani Chowk To Badholi Via Satghara Path At Ch.-0.660 Kms.	34.260	469.198	3.855	70.958	13.403	557.414
16	Araria	Araria	Araria	Cosntruction of R.C.C. H.L. Bridge in PWD Sharanpur South To Matnaja At Ch. - 0.300 Kms.	38.760	495.95	4.078	75.004	14.139	589.171
17	Araria	Araria	Araria	Cosntruction of R.C.C. H.L. Bridge in L055 - T02 To Bathurbari East (VR54) At Ch.-1.00 Kms.	34.260	439.368	2.959	66.349	12.583	521.259
				TOTAL	814.340	9281.337	61.722	1401.459	263.737	11008.255

2. मांग संख्या-37-मुख्य शीर्ष-4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय, उपमुख्य शीर्ष - 00, लघु शीर्ष -103-सामान्य मद के लिए योजना, उपशीर्ष -0121- मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना (सामान्य मद), विषय शीर्ष-5301 मुख्य निर्माण कार्य, विपत्र कोड- **37-4515-00-103-0121**, मूल बजट उपबंध-625 करोड़ रु० है। निर्धारित Bank of Sanction के अतिरिक्त दिनांक 02.08.2024 एवं 22.01.2025 को लोक वित्त समिति द्वारा योजनाओं के प्रशासनिक अनुमोदन हेतु क्रमशः राशि 1500 करोड़ रुपये एवं 16125 करोड़ रुपये की छूट दी गई है। वर्णित पथों के आरेखन पर चिन्हित पुल निर्माण एवं कुल सात वर्षों तक संचालन एवं प्रबंधन की कुल राशि उपलब्ध Bank of Sanction की राशि के अन्तर्गत है।
3. इस कार्यक्रम अंतर्गत वर्णित पथों के प्रशासनिक अनुमोदनोपरांत विभागीय संकल्प संख्या-4995 दिनांक 22.09.2023, संकल्प संख्या- 1259 दिनांक 13.09.2024 एवं संकल्प संख्या-1718 दिनांक 15.11.2024 में उल्लेखित दिशा निर्देश के आलोक में कार्य सम्पन्न कराया जायेगा।

4. प्रशासनिक स्वीकृति हेतु निर्गत स्वीकृत्यादेश में किसी भी प्रकार की त्रुटि परिलक्षित होने पर संबंधित कार्यपालक अभियंता इसकी सूचना मुख्यालय को अविलम्ब देना सुनिश्चित करेंगे।
5. पथ के नवीनीकरण/उन्नयन/पुनर्निर्माण तथा संचालन एवं प्रबंधन (कुल 7 वर्ष अवधि तक) कार्य हेतु होने वाले सभी व्यय का विकलन योजना शीर्ष 4515 से प्राप्त होने वाली राशि से भारित होगा।
6. संबंधित कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल योजनाओं के कार्य सम्पादन हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। नियंत्री एवं व्ययन पदाधिकारी का उत्तरदायित्व होगा कि कार्यों को विशिष्ट के अनुरूप कार्यान्वित कराकर एकरारनामा एवं सुसंगत वित्तीय प्रावधानों के पालन उपरान्त पूर्णतः संतुष्ट होकर ही राशि की निकासी एवं व्ययन करेंगे। किसी प्रकार की अनियमितता के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (कार्यपालक अभियंता) पूर्णतः जिम्मेवार होंगे।
7. वर्णित योजनाओं से संबंधित निर्गत विभागीय संकल्प के आलोक में रूटीन अनुरक्षण/त्रुटि निवारण अवधि से बाहर पथों को क्षेत्रीय कार्य प्रमंडलों द्वारा विभागीय MIS पर की गई प्रविष्टि के आलोक में जो अद्यतन किसी अन्य योजना से स्वीकृत नहीं है, को ग्रामीण पथ सुदृढीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम के तहत पुनर्निर्माण/उन्नयन/नवीनीकरण तथा संचालन एवं प्रबंधन कार्य कराया जाना है।
8. योजनाओं के कार्यान्वयन के पूर्व डी0पी0आर0 पर कार्यपालक अभियंता द्वारा सक्षम प्राधिकार से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।
9. योजनाओं की तकनीकी स्वीकृति प्रदान किये जाने के क्रम में प्रावधानित प्रत्येक मद की संभाव्यता की जाँच सक्षम प्राधिकार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
10. एकरारनामा के पूर्व कार्यपालक अभियंता यह सुनिश्चित कर लेंगे की सूची में वर्णित योजना किसी अन्य योजना से स्वीकृत अथवा पंचवर्षीय अनुरक्षण अवधि के अधीन नहीं है।
11. बिहार कोषागार संहिता में निहित प्रावधानों के आलोक में बजट प्रावधान के अन्तर्गत निधि की उपलब्धता के आधार पर उक्त योजना हेतु राशि की निकासी की जायेगी।
12. वित्त विभाग के संकल्प सं0-12888 दिनांक 03.12.2024 में निहित दिशा निर्देश एवं समय-समय पर निर्गत निदेशों का अक्षरशः पालन किया जायेगा तथा बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में योजना में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जायेगी।
13. यह राशि उसी मद में खर्च की जायेगी, जिसके लिए पुर्नविनियोजित की गयी है, अन्य मद में नहीं।
14. प्राक्कलन की विशिष्टताओं एवं Bidding Documents में निर्धारित नियमों के अनुसार Initial Rectification, Minor Improvement and Strengthening/Widening, Surface Renewal एवं Operation & Management का कार्य स-समय पूर्ण करना सुनिश्चित किया जायेगा।

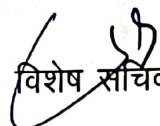
Q

15. संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा योजना के वित्तीय एवं भौतिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह की 5 तारीख तक विभागीय MIS पर ऑन लाइन प्रविष्टि कराते हुए अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता के माध्यम से विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध कराएंगे।
16. सरकार से निर्गत आदेशों में प्रावधानित सक्षम नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा नियमित अन्तराल पर योजना के कार्यान्वयन के क्रम में Bidding Documents में निर्धारित निरीक्षण Schedules के अनुसार अनिवार्य रूप से किया जायेगा एवं कार्यों को स-समय तथा गुणवत्ता पूर्वक सम्पन्न कराना सुनिश्चित कराया जायेगा। योजना के कार्यान्वयन में अनियमितता की स्थिति में दोषी पदाधिकारी उत्तरदायी माने जायेंगे।
17. वर्णित योजना का क्रियान्वयन निर्धारित मापदण्डों एवं समय-समय पर विभाग द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुसार सम्पन्न कराया जाना संबंधित कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल के जिम्मेवारी होगी।
18. वित्त विभाग के संकल्प सं०-12888 दिनांक 03.12.2024 की कंडिका-17 के आलोक में संबंधित योजना की प्रशासनिक स्वीकृति की वैधता स्वीकृत्यादेश निर्गत करने की तिथि से 10 वर्ष की अवधि तक वैध रहेगी।
19. सारणी में अंकित योजनाओं के **प्रशासनिक अनुमोदन** के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार माननीय विभागीय मंत्री महोदय का अनुमोदन संचिका संख्या- मु०अ० (अ०उ०)4515-01-165/2025 के पृ०-०८ /टि० पर दिनांक-31.03.2025 को प्राप्त है।
20. वित्त विभाग के संकल्प सं०-12888 दिनांक 03.12.2024 की कंडिका-11 के आलोक में स्वीकृत्यादेश प्रारूप आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जा रहा है। आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-मु०अ० (अ०उ०)4515 -01-165/2025 के पृ०-०९ /टि० पर दिनांक-31.03.2025 को प्राप्त है।

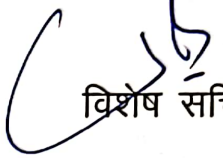
विश्वासभाजन

(
(जिवन कुमार सिंह)
विशेष सचिव

ज्ञापांक- मु०अ० (अ०उ०)4515 -01-156/2025 -708 /पटना, दिनांक- 31.03.2025
प्रतिलिपि-संबंधित कोषागार पदाधिकारी, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(
विशेष सचिव।

ज्ञापांक- मु0अ0 (अ0उ0)4515 -01-156/2025 -708 /पटना, दिनांक- 31-03-2025
प्रतिलिपि- माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव, विकास आयुक्त, बिहार, अपर मुख्य
सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (आय-व्यय शाखा)/आंतरिक
वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/
संबंधित उप विकास आयुक्त/अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य
विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव बजट शाखा,
ग्रामीण कार्य विभाग/संबंधित मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/संबंधित अधीक्षण अभियंता,
ग्रामीण कार्य अंचल/संबंधित कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य प्रमंडल को सूचनार्थ एवं आवश्यक
कार्रवाई हेतु प्रेषित एवं आई0टी0 नोडल पदाधिकारी, ग्रामीण कार्य विभाग को MIS में अपलोड करने
हेतु एवं आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


विशेष सचिव।